(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम माण्डलगढ

बनाम

मुकदमा 88-188 RTA नं. 29/20

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6/7/20	वादपत्र सीगे से बाद जॉच पेश हुआ। वकील प्रार्थी उपस्थित। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र भेजी जावें। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 7/9/20 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ	
7/9/20	वकील वादी एवं वादी के प्रार्थना पत्र पेश किया। व प्रार्थना पत्र में आगे इस वाद पत्र में कोई कार्यवाही न होना चाहते हो अतः वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88-188 RTA इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.02.02 12:19:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner